# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

## मूल वाद मे संशोधन डिक्री

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

**पीठासीन अधिकारी – अंशुल आमेरिया(R.A.S.)**

प्रकरण संख्या : 18/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र **अन्तर्गत धारा – 152, 151 सिविल प्रक्रिया संहिता**

**अनवान**

1. सुखालाल उर्फ सुकलाल पिता जौधा रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. फौत के बजाय विधिक उत्तराधिकारी–
   1/1 प्यारी पत्नि स्व. सुखालाल उर्फ सुकलाल रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
   1/2 देउ पुत्री स्व. सुखालाल उर्फ सुकलाल रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
   1/3 कमला पुत्री स्व. सुखालाल उर्फ सुकलाल रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
   1/4 केली पुत्री स्व. सुखालाल उर्फ सुकलाल रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
   1/5 डाली पुत्री स्व. सुखालाल उर्फ सुकलाल रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
   1/6 धापू पुत्री स्व. सुखालाल उर्फ सुकलाल रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
   1/7 मनभरी पुत्री स्व. सुखालाल उर्फ सुकलाल रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

—— **(प्रार्थीगण)**

**बनाम**

1. पेमा पिता जौधा रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. फौत के बजाय विधिक उत्तराधिकारी–
   1/1 कमला देवी पत्नि पेमा रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.
   1/2 गीता देवी पुत्री पेमा रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.
   1/3 शांता बाई पुत्री पेमा रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.
   1/4 रतनलाल पिता पेमा रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.
   1/5 हिरी बाई पुत्री पेमा रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.
   1/6 लीला बाई पुत्री पेमा रेगर उम्र वयस्क निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज.
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

——**(अप्रार्थीगण)**

उपस्थित –

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री कैलाशचन्द्र आचार्य –––उपस्थित

राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ

दिनांक– 24.01.2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में इस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 12.06.2017 में भूलवश हुई टंकण भूल/मानवीय गलती को दुरूस्त करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1/4 की ओर से दिनांक 24.01.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा दफा 152, 151 सिविल प्रक्रिया संहिता बाबत निर्णय/डिक्री पुर्नविलोकन स्वीकार कर पारित डिक्री दिनांक 12.06.2017 में दुरूस्तिकरण कर पुनः संशोधित डिक्री इस प्रकार दिया जाता है कि–

ग्राम हमीरगढ प.ह.क्षे. हमीरगढ तहसील हमीरगढ स्थित खतौनी संख्या 417 के आराजी संख्या 1700 रकबा 0.3541 हैक्टयर, आराजी संख्या 1944, 1946, 1947, 1948, 1996, 1997 किता 6 रकबा 1.3405 हैक्टयर एवं ग्राम तख्तपुरा पटवार हल्का क्षेत्र तख्तपुरा के आराजी संख्या 618/2 रकबा 0.1012 हैक्ट. भूमि के वर्तमान राजस्व अभिलेखों से झमकू पत्नि जीवण का नाम विलोपित कर, झमकू पत्नि जीवण के स्थान पर उनके हिस्से को स्व. पेमा रेगर के विधिक उत्तराधि[illegible] 1/6 का संयुक्त हक स्वामित्व (*मौजूदा हिस्से में समायत करते हुए*) निर्धारित कर, राजस्व रे[illegible] कर, दुरूस्तिकरण किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। इस डिक्री को [illegible] 2017 का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है।

तहसीलदार हमीरगढ तदनुसार राजस्व अभिलेखों में [illegible] करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। आज यह डिक्री दिनांक 24.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर [illegible] न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 12:21:54 IST
Reason: SelfAttested